राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 126/2023 प्रा0पत्र

अनवान

01. कालू सिंह पुत्र हीरासिंह।
02. किशन सिंह पुत्र हीरासिंह।
03. नैनू देवी पत्नि हीरासिंह।
04. मीरा देवी पुत्री हीरासिंह।

समस्त जाति रावत निवासी चतरपुरा मण्डावर, तहसील भीम जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थीगण

बनाम

01. चूनसिंह पिता डाउसिंह जाति रावत निवासी बादरिया मण्डावर, तहसील भीम, जिला राजसमंद।
02. जसवन्त सिंह पिता डाउ सिंह जाति रावत निवासी रोहिड़ा तहसील भीम जिला राजसमंद।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः— दिनांक 23/3/2026

01. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रोहिड़ा, पटवार हल्का मण्डावर, तहसील भीम जिला राजसमन्द की जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 के अनुसार खाता संख्या नया 366 एवं पुराना खाता संख्या 362 में वर्णित आराजियात के खाता संख्या 366 आराजी खसरा संख्या क्रमशः 1944, 2000 रकबा क्रमशः 0.0607, 0.2185 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2792 है0 है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात हमारी पुश्तैनी भूमि होकर पूर्व में मेरे पिताजी के नाम पर थी तथा उनके फौत होने के पश्चात् उक्त भूमियों का विरासत का नामान्तकरण हम प्रार्थीगण के नाम खोला जाकर वर्तमान में उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के खातेदारी काश्तकारी में दर्ज होकर हमारे ही कब्जे व काश्त में होकर हम प्रार्थीगण उक्त भूमियों का उपयोग—उपभोग व काश्त करते—कराते आ रहे है। उक्त भूमि पर हमने कांटो की बाड़ लगाकर सुरक्षित कर रखा है तथा समय समय पर उक्त भूमि पर घास व खेतों में फसल हम प्रार्थीगण बोते व बुवाते चले आ रहे है तथा खेतों को मिट्टी खाद द्वारा काफी उपजाऊ

Scanned with OKEN Scanner

बना रखा है। यह अप्रार्थीगण जिनका उक्त भूमि पर कोई लेना देना नही है तथा उक्त भूमि में उनका कोई हक अधिकार नही है फिर भी आये दिन वह हमारी उक्त भूमि में नाजायज रूप से घुसकर मवैशी चरा देते है तथा हमारी कांटो की बाड़ को फैंक देते है तब हमारे द्वारा उन्हे मना करने पर उल्टा हमारे साथ लडाई झगडा कर मरने मारने पर उतारू हो जाते है। यह कि अप्रार्थीगण को हमारे द्वारा काफी बार समझाया जा चुका है परन्तु वे अपनी ऐसी घटिया हरकतों से बाज नही आ रहे है और हम प्रार्थीगण कमाने खाने हेतु बाहर रहते है जिसका फायदा अप्रार्थीगण उठाकर धीरे–धीरे हमारी इस जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करना चाह रहे है तथा अभी हमारी खातेदारी काश्तकारी भूमि खसरा संख्या 2000 में जबरदस्ती खुदाई कर लेटरिन बाथरूम बनाने पर उतारू है तथा हमारे द्वारा मना करने पर नही मानकर मरने मारने पर उतारू होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा हमारे पास कोई अन्य विकल्प नही होने से यह दावा पेश कर रहे है। वादकारण जब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने हमारी उक्त आराजी संख्या 2000 में जबदस्ती ताकत के बल पर हमारी अनुपस्थिति में जेसीबी चला खुदाई कर लेटरिन बाथरूम का निर्माण कार्य शुरू कर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू हो गए। हम प्रार्थीगण को जानकारी होते ही हमने उन्हे ऐसा नही करने बाबत कहा तो उन्होने हमारे साथ गाली गलौच की व ऐलानिया धमकी दी कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे इस जमीन पर तो हम कब्जा करके रहेगे तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यदि अप्रार्थीगण जिनका इस भूमि से दूर दूर तक कोई सरोकार हक अधिकार नही है फिर भी वह रूपयों व ताकत के बल पर हमारी इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है इसलिए उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करते हुए रोका जाना आवश्यक अन्यथा कई प्रकार की आपराधिक घटनाये हो सकती हैं। हम प्रार्थीगण उक्त भूमियों के खातेदार काश्तकार होकर उक्त भूमिया हमारे उपयोग उपभोग में चली आ रही है इसलिए मामला हकुक का होकर हमारे अधिकार से जुड़ा है। यदि दौराने वाद अप्रार्थीगण ताकत व लाठी के बल पर हमारी उक्त खातेदारी भूमि में यदि किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण अवैध कब्जा, अवैध निर्माण करने में कामयाब हो जाते है तो उसे अप्रार्थीगण के खर्चे पर हटवाया जाना आवश्यक होने से उक्त आशय का आदेशात्मक आज्ञाप्ति द्वारा हटवाया जावें। यह कि प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है व अप्रार्थीगण बिना रिकॉर्ड में बंटवारा करवाये ही उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा हो रहे है जिससे भविष्य में कब्जे बाबत विवाद होगा व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव नही होगी एवं सुविधा का संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि हम खातेदार काश्तकार है व मौके पर भी हमारा ही स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा कब्जा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हम प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर हमारी खातेदारी–काश्तकारी भूमि में नाजायज अतिचार करने व अवैध निर्माण करने व विक्रय से उन्हें व उनके ऐजेन्टो, मजदूरो व रिश्तेदारों को पाबंद करने की कृपा करें।

02. प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को आगामी सुनवाई दिनांक तक पाबंद किया गया एवं जरिये नोटिस तलब किया गया। सुनवाई दिनांक 11.11.2025 को अप्रार्थी संख्या 02 की तलबी प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.02.2026 को पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर की गई। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए गए।

Scanned with OKEN Scanner

03. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी की बहस पर मनन किया। **प्रथम दृष्टया** चूंकि उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी काश्तकारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण ही कब्जा काश्त है। अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का होने से **अपूर्णनीय क्षति** तथा **सुविधा संतुलन** के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष के है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मौजा रोहिड़ा, पटवार हल्का मण्डावर, तहसील भीम जिला राजसमन्द की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 366 एवं पुराना खाता संख्या 362 में वर्णित आराजियात के खाता संख्या 366 आराजी खसरा संख्या क्रमशः 1944, 2000 रकबा क्रमशः 0.0607, 0.2185 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2792 है0 भूमि में राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति बनायी रखी जावे तथा एक दूसरे के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करवाये, पक्का निर्माण नही करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखे, अप्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे। फर्द अहकाम पृथक से जारी हो।

निर्णय मेरा द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक 23/3/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द